रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष –42 ● अंक –21 ● कानपुर 1 से 15 नवम्बर 2020 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

पंजीयन/नवीनीकरण के बिना प्रैक्टिस न करें–रजिस्ट्रार

चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए चिकित्सकीय अर्हता के साथ सम्बन्धित चिकित्सा परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जिस जनपद में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं उस जनपद में स्थानीय स्तर पर भी पंजीयन का होना अनिवार्य है, इस हेतु सरकार द्वारा अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशजारी किये गये हैं जिसके अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया है अद्यतन स्थिति के अनुसार एलोपैथिक चिकित्सकों/चिकित्सालयों का पंजीयन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, इसी प्रकार होम्योपैथी चिकित्सकों/चिकित्सालयों का पंजीयन जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के कार्यालय में तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों/चिकित्सालयों का पंजीयन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के कार्यालय में होने का प्राविधान किया गया है जिलों में पंजीकृत सभी चिकित्सकों को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल से पूर्व अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है तदानुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों/चिकित्सालयों का पंजीयन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के निर्देशानुसार क्षेत्रीय/मण्डलीय अथवा जिला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पंजीयक द्वारा किया जायेगा इस हेतु बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लाम्बित अवमानना वाद सं0 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2004 के निर्देशानुसार आदेशित किया गया है कि सभी प्रमाणपत्र प्रदाता संस्थाओं को शासन में तथा सभी चिकित्सकों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश में एक मात्र संस्था को उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पाँच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 04–01–2012 के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया जिसके अनुसार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0 प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने अपने पत्र संख्या अभि0 दर्श0/2013/2399 दिनांक 02–09–2013 एवं 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रदेश के समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अपने मण्डल के समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने स्तर से उक्त कार्यालय ज्ञाप को परिचालित कराने हेतु शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है, इसलिए अपना पंजीयन प्राथमिकता के आधार पर करवायें, पुष्ट सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ चिकित्सक ऐसे हैं जो वर्षों से चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन उनका पंजीयन आज तक परिषद में भी नहीं है ऐसा कृत अपराध की श्रेणी में आता है, भविष्य में होने वाली परेशानी से बचने के लिए तथा चिकित्सा व्यवसाय बिना बाधा के चलता रहे इसके लिए तत्काल अपना पंजीयन अपनी परिषद में अवश्य करा लें और उन पंजीकृत चिकित्सकों को भी आगाह किया जाता है जिनके पंजीयन की मान्य अवधि समाप्त हो चुकी है वह अविलम्ब अपना नवीनीकरण कराकर अनावश्यक परेशानी से बचें, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अधिकृत पंजीकृत चिकित्सकों की सूची निरन्तर प्रेषित की जाती है यह कदाचित परामर्श नहीं है अपितु आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 अपने चिकित्सकों के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहता है।

आपकी रक्षा तभी हो सकती है जब आप भी विधि सम्मत ढंग से कार्य कर रहे हों, अस्तु एक बार पुनः आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बचने के लिए पहले अपना पंजीयन/नवीनीकरण करवायें फिर जिला स्तर पर पंजीयन हेतु आवेदन करें, यह दोनों कार्य सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा ही सम्पादित होने हैं इसलिए इस विषय पर ज़्यादा सोच–विचार की आवश्यकता नहीं है, चिकित्सा विभाग के सक्षम अधिकारी निरन्तर सहयोग कर रहे हैं।

प्रदेश में प्रशिक्षित व विधिक रूप से पंजीकृत चिकित्सक ही प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने एवं जिला स्तरीय पंजीयन के पात्र हैं।

21 जून 2011 भारत सरकार का आदेश पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों को विधिक तौर पर स्थापित करता है, इसके अनुपालन में 4 जनवरी, 2012 को जारी शासनादेश उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है इसलिए अब विचलन के लिए कोई स्थान नहीं है।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 से पंजीकृत सभी चिकित्सकों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि वे निर्धारित और स्थापित मापदण्डों का अनुपालन करते हुए तत्काल अपना पंजीकरण/नवीनीकरण करवायें और जिला स्तरीय पंजीयन हेतु कार्यालय में पंजीयन/नवीनीकरण हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करें, व्यवस्था की भावनाओं के अनुरूप कार्य करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयभारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इकाई द्वारा अनुमोदित)

8– लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014

website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

F.M.E.H. & A.C.E.H

पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु स्टडी सेन्टर्स के स्थापनार्थ इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन

आमंत्रित हैं

आवेदन पत्र एवं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.behm.org.in(link Affiliation) से डाउनलोड कर सकते हैं।

Registrar

निर्धारित माप दण्ड पूर्ण करने पर ध्यान केन्द्रित करें

अन्तरविभागीय समिति द्वारा वांछित निर्धारित मापदण्ड जो समिति द्वारा न्यून कर दिये उनकी पूर्ति हेतु समिति के समक्ष उपस्थित संयुक्त प्रपोज़लकर्ता तथा संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ताओं को पूर्ति करने का ही प्रयास करना चाहिये इसमें किसी भी प्रकार की नवीन जानकारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिए सकारात्मक रूख अपनाया जा रहा है , जैसा कि उसकी कार्यवाही से आभास होता है।

भारत सरकार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि अन्तरविभागीय समिति की संस्तुतियां पूर्णतयः इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में हैं अन्तरविभागीय समिति ने मान्यता के सम्बन्ध में जो बिन्दु निर्धारित किये थे वह उस पर पूरी तरह से अटल है और आज भी वह चाहती है कि उन बिन्दुओं की पूर्ति समुचित ढंग से कर दी जाये , तो वह मान्यता देने के लिए संस्तुति देने में पीछे नहीं रहेगी निरन्तर ऐसी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि दावेदार आंकड़ों को एकत्रित करने में व्यस्त हैं और वह ऐसा चाहते हैं कि उनके आंकड़ों को ही महत्व दिया जाये, एकत्रित आंकड़ों की प्रमाणिकता को प्रमाणित करने का आधार क्या है ? इसपर किसी ने विचार किया है ? इस पर संशय है! आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अन्तरविभागीय समिति इसके पहले भी अपनी कार्यवाही में विचार कर चुकी है , दावेदारों को अन्तरविभागीय समिति की कार्यवाहियों का भलि–भांति अध्ययन करना चाहिये और उसमें दी गयी दिशा पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये इससे भिन्न यदि कुछ अलग सोचा जाता है तो नई स्थिति का जन्म हो जायेगा और हम जहां से चले थे फिर वहीं पहुँच जायेंगे।

अन्तरविभागीय समिति गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता के लिए कार्य कर रही है, अन्तर विभागीय समिति की रिपोर्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्वतन्त्रता पर कोई रोक तो नहीं लगाती है परन्तु उसने कार्य के लिए आवश्यक सुझाव भी दिये हैं , अब इन सुझाव को समुचित ढंग से प्रयोग करने के लिए आपसी सामंजस्य, विधिक प्राविधानों का पालन, आवश्यक अनुमति/ अनापत्ति के बिना असम्भव है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों/ इकाईयों एवं समूहों को चाहिये कि वह आपस में सामंजस्य बनाते हुए वांछित मापदण्ड की पूर्ति करने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनायें जिससे आवश्यक वांछित सूचनायें, साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा एक मात्र जारी नियामक आदेश दिनांक 21 जून, 2011 को जारी किया जा चुका है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के नाम से है जिसको सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देशित भी किया गया है इसकी पुष्टि समय समय पर की गयी है, दावेदार इस आदेश का सन्दर्भ देकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में अपना योगदान दे सकते हैं तथा समाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जन स्वीकारिता भी बढ़ा सकते हैं।

सोशल मीडिया पर आज कल ऐसी सूचनाओं का बाज़ार गरम चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अन्तरविभागीय समिति द्वारा वांछित मानकों की पूर्ति हेतु परिस्थिति एवं समय की गम्भीरता को देखते हुये अनेक संस्थाओं ने औषधि निर्माण के लिये ढांचागत व्यवस्थाओं के साथ–साथ जड़ी बूटियों की बागवानी का प्रबन्ध भी प्रारम्भ कर दिया है, कुछ संस्थाओं एवं संगठनों ने परिसरों के निर्माण का उदघाटन एवं लोकार्पण भी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा कराकर फोटो चित्र भी सोशल मीडिया पर जारी किये हैं।

आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला एक मात्र संगठन

Electro Homoeopathic Medical Association of India

(An Organization of Electro Homoeopathic Practitioners & Institutions)

Recognised by Government of India Ministry of Heath & Family Welfare vide order No: C.30011/22/2010-HR Dated 21-06-2011

A self Regulatory Body

Central Office : C- 617, Nirman Chauk, Madanpur Khadar Extention, NEW DELHI-1100

Adm.Office : 8- Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, LUCKNOW-226001

Head office : 127/204 "S" Juhi, KANPUR-208014

E-mail : ehmaik@gmail.com website- www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

E-mail : electrohomoeomedicalgazette@gmail.com

website- www.upelectrohomoeopathy.net

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)
8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) — इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) — 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष — G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

C.E.H. एक वर्ष — हाई स्कूल अथवा समकक्ष

A.C.E.H. एक सेमेस्टर — किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 9335916076
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	VACANT
5	Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9451162709
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 842396191
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 8052791197
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmarshah, Near Charkhamba,Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Rai	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddhatth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	Dr. V.P. Srivastav 9415669294
18	Bundel Khand Electro Homoeopathic Medical Institute, Campus Shri Lakhan Smarak Kanya Jr.H. School 1363 Y-4 Dhobin Pulia, Hanumant Vihar, NaubastaKANPUR	Dr. Pramod Kumar singh 9307199994	Mr. Rahul Bajpai, 9650466359

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9836131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	9889426312	
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	6395361883	
61	Dr. Shiv Kumar Pal	Prem Nagar, Dak Banglow Bye Pass Road	FIROZABAD	9027342885	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	7398941680	mpsr31@gmail.com
63	Dr. Ram Autar Kushwaha	Kushwaha Electro Homoeopathic Clinic & Study centre	KANPUR	9793261649	

LIST OF AUTHORISED STUDY/GUIDENCE CENTRES OTHER STATE

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
81	Dr. Devendra Singh	374/4 Shahid Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090	9873609565	
82	Dr. Pankaj Kumar	Kaithi P.S. Chautham	KHAGARIA-851201	7549417934	
83	Dr. Vikas	303/6 Gyan Nagar, Purkhas Road	SONIPAT-131001	9639300426	7302653934

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
92	Dr. S.K. Saxena	Parker College Road	MORADABAD	8171869605	
93	Dr. Rajesh	Garh Mukteshwar	HAPUR	8958961964	

Registrar

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट/इन्सटीट्यूट/अध्ययन केन्द्र अपनी व्यवस्थायें ठीक कर लें– डा0 इदरीसी

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति दिनोंदिन मजबूत होती जा रही है और शासकीय संरक्षण की व्यवस्थायें बनती जा रही हैं इसलिये भविष्य को देखते हुये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध सभी मेडिकल इन्सटीट्यूट/इन्सटीट्यूट व अध्ययन केन्द्र अति शीघ्र बोर्ड द्वारा जारी मानकों के अनुरुप अपनी व्यवस्थायें ठीक कर लें यह विचार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने एक उच्च स्तरी बैठक में व्यक्त किये।

बैठक का आयोजन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के मुख्यालय लखनऊ में किया गया, बैठक में उपस्थित सभी उपसिथत सदस्यों को सम्बोधित करते हुये डा0 इदरीसी ने कहा कि 24 अप्रैल, 2017 को जब बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के स्थापना दिवस के अवसर पर जब जी0 ई0 एच0 एस0 कोर्स का लोकार्पण किया गया था उस समय भी समस्त सम्बद्ध मेडिकल इन्सटीट्यूट/इन्सटीट्यूट व अध्ययन केन्द्रों को इसी प्रकार के निर्देश बोर्ड द्वारा जारी किये गये थे कि भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये सभी संस्थान अपनी व्यवस्थाओं में वह सारी पूर्तियां कर लें जो निर्दिष्ठ हैं Covid-19 का काल समाप्त होते ही सम्भव है कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितिकरण के लिये कोई आदेश भी जारी किया जाये, इस आदेश में काम करने के लिये कुछ मानक भी निश्चित किये जायेंगे इन मानकों को जो पूरा करेगा वही कार्य करने का अधिकारी होगा बोर्ड ने सम्भावित मानकों के अनुसार ही आपको निर्दिष्ठ किया है, अब यह हर संस्था संचालक का दायित्व है कि वे समय रहते अपनी व्यवस्थाओं को सुधार लें।

चेयरमैन डा0 इदरीसी ने ज़ोर देकर कहा कि वैसे तो हमारे हर संस्थान में ओ0पी0डी0 की व्यवस्था है फिर भी यदि किसी संस्था के पास डिस्पेन्सरी/ ओ0पी0डी0 की व्यवस्था नहीं है वे इस अवधि में डिस्पेन्सरी/ ओ0पी0डी0 अवश्य प्रारम्भ कर दें, बोर्ड द्वारा इस हेतु एक टीम का गठन भी किया जा चुका है जो अपना दायित्व बड़ी तेजी के साथ निभा रही है,टीम निरीक्षण के लिये आपके यहां भी आ सकती है और उस समय जो व्यवस्था आप दिखायेंगे वही व्यवस्था आगे अग्रसारित कर दी जायेगी।

कुछ प्राचार्यों ने जानना चाहा कि भारत सरकार द्वारा मांगे गये प्रपोज़ल के सन्दर्भ में क्या हो रहा है तथा इस सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की क्या रणनीति है ? इस प्रश्न को गम्भीरता से लेते हुये डा0 इदरीसी ने कहा कि आपकी स्थिति औरों से भिन्न है, आपके पास 21 जून, 2011 के आदेश का संरक्षण है इसी आदेश के आधार पर पूरे देश में विभिन्न संगठनों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का संचालन किया जा रहा है और आपकी स्थिति एक नीति नियामक संस्था के रुप में है अस्तु प्रपोज़ल के सम्बन्ध में हमारा विचार वही है जो मार्च, 2017 में था।

बैठक मे उपस्थित एक सदस्य ने कहा कि उनके क्षेत्र में एक संस्था संचालक द्वारा छात्रों के बीच यह प्रचारित किया जा रहा है कि उनका प्रपोज़ल भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है उसपर कार्यवाही भी चल रही है और उन्हीं की संस्था को मान्यता का अधिकार मिलेगा इस पर डा0 इदरीसी ने कहा कि मनगढ़ंत बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये अभी तो Covid-19 के कारण कार्यक्रम स्थगित है प्रपोज़लों में कमी की आपूर्ति का प्रयास चल रहा है अनेक संस्थानों द्वारा तनमयता के साथ सक्रियता दिखायी जा रही है, उनके द्वारा प्रसतुत की गयी सामग्री के जमा होंने के पश्चात स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रपोज़लों की समीक्षा होगी, उसके बाद सरकार कोई निर्णय लेगी, डा0 इदरीसी ने आगे कहा कि भारत सरकार जो भी आदेश जारी करेगी वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिये होगा न कि किसी व्यक्ति या संस्था विशेष के लिये।

28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के मैकेनिज़्म के लिये है जिसमें वांछित जानकारियां देश के किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संगठन द्वारा दी जा सकती हैं और इसके अनुक्रम में लोगो ने दी भी हैं, इनके परीक्षण के बाद ही कोई विचार होगा।

बैठक को सम्बोधित करते हुये बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने कहा कि कल क्या होगा ? इस पर चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है आप सब लोग खुलकर काम करें अधिक से अधिक चिकित्सा शिवरों का आयोजन करें जिससे जनता से सीधा सम्पर्क हो सके।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रचार में यह कार्य सबसे प्रभावी और उपयुक्त है प्रायः जो लोग यह मान बैठे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अब कुछ खास नहीं हो रहा है उनका यह भ्रम भी दूर होगा तथा सरकार की नज़र में भी आपका कार्य आयेगा।

प्रदेश में चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सकों के पंजीयन की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है अब स्थिति बदल चुकी है राज्य सरकार के आदेशानुसार अब एलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सकों के पंजीयन का कार्य ही जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सकों का पंजीयन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सकों का पंजीयन जिला होम्योपैथिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सकों के पंजीयन की कार्य योजना को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा अंतिम रुप दिया ता रहा है जिसमें बोर्ड के रजिस्ट्रार की भुमिका मुख्य पंजीयक की होगी तथा क्षेत्रीय / मण्डलीय तथा जिला स्तर पर पंजीयकों की नियुक्ति की जायेगी, ह सभी पदाधिकारी एलोपैथिक , आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक अधिकारियों की भांति पंजीयक का दायित्व निभायेंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के शून्य होते ही इस सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा क्षेत्रों के निर्धारण एवं दायित्वों की अधिसूचना जारी की जायेगी।